संख्या-134/2023/203रासनि/23-1-23/005-02आरएसएन/2022

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 24 जनवरी, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से अलीगढ़ मण्डल के विभिन्न जनपदों के 26 मार्गों के स्वीकृत एवं चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-2854/CE-HQ-1/RSN 5054/ALI/2022-23, दिनांक 18.01.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार अलीगढ़ मण्डल के विभिन्न जनपदों के 26 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 13,71,67,000/- (रूपये तेरह करोड़ इकहत्तर लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नि.ख.-1 अलीगढ़	ढाटौली से शेखूपुर मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी-दिनांक-07-01-2022	54.00	40.46	8.03	5.51	5.51
2	प्रा.ख. एटा	जी0टी0 मार्ग से पुरा सम्पर्क मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य।	44/2021/203 रासनि/23-1-20-71 रासनि/20-दिनांक-07-02-2021	83.48	45.60	2.61	35.27	35.27
3	प्रा.ख. एटा	एटा अमांपुर सहावर मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	61/2021/159 रासनि/23-1-21-100 रासनि/20-दिनांक-01-03-2021	386.62	107.99	61.56	217.07	108.00
4	प्रा.ख. एटा	एटा गंजडुण्डवारा मार्ग से गढी खेडिया मजराओन सम्पर्क मार्ग पर नवनिर्माण का कार्य।	96/2021/198 रासनि/23-1-21-91 रासनि/20-दिनांक-17-03-2021	58.68	25.72	11.16	21.80	21.80
5	प्रा.ख. एटा	नगला बिजू से गढिया माखन (मसवई) मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	106/2021/488 रासनि/23-1-21-101 रासनि/20-दिनांक-24-03-2021	26.98	20.97	5.05	0.96	0.96
6	प्रा.ख. एटा	सकतपुर मार्ग से कवार मार्ग (छूटी कड़ी) तक नव निर्माण का कार्य।	112 /2021/523 रासनि/23-1-21-41 रासनि/20-दिनांक-24-03-2021	57.60	20.35	7.67	29.58	29.58
7	प्रा.ख. एटा	एटा सकीट मार्ग से अंगदपुर (छूटी कड़ी) तक नव निर्माण का कार्य।	112 /2021/523 रासनि/23-1-21-41 रासनि/20-दिनांक-24-03-2021	90.70	25.77	19.01	45.92	45.92
8	प्रा.ख. एटा	एटा सकीट मार्ग से नैनपुर तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण का कार्य। (छूटी कड़ी)	112 /2021/523 रासनि/23-1-21-41 रासनि/20-दिनांक-24-03-2021	132.63	37.06	27.33	68.24	68.24
9	प्रा.ख. एटा	करतला सिढ़पुरा मार्ग से करतला बाइपास वरौली सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण का कार्य। (छूटी कड़ी)	112 /2021/523 रासनि/23-1-21-41 रासनि/20-दिनांक-24-03-2021	55.78	24.85	11.83	19.10	19.10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	प्रा.ख. एटा	घुटलई से नगला हमीर तक नव निर्माण का कार्य। (छूटी कड़ी)	112 /2021/523 रासनि/23-1-21-41 रासनि/20-दिनांक-24-03-2021	97.90	27.93	20.41	49.56	49.56
11	प्रा.ख. एटा	मानपुराभाऊपुरा मार्ग से नगाल खंजन सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	65.50	33.44	13.08	18.98	15.03
12	प्रा.ख. एटा	एटा अलीगंज मार्ग से नगला रामदत्त (नगला भारा) मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	116.64	47.17	0.00	69.47	40.97
13	प्रा.ख. एटा	नगला बिजू से पट्टी मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	75.85	39.21	14.52	22.12	18.92
14	प्रा.ख. एटा	सुक्तीखेडा सम्पर्क मार्ग से उमरी वाया कदरा सम्पर्क मार्ग पर नवनिर्माण का कार्य।	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	74.27	39.36	15.65	19.26	19.26
15	प्रा.ख. एटा	न्यौराई नहर पुल से भोजी की मडइया सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	54.9	27.98	10.62	16.30	16.30
16	प्रा.ख. एटा	जी0टी0 मार्ग से नगला कंचन सम्पर्क मार्ग पर नवनिर्माण का कार्य	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	100.23	40.25	19.75	40.23	40.23
17	प्रा.ख. एटा	भागपुर से भटमई तक नवनिर्माण का कार्य	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	46.22	35.31	8.20	2.71	2.71
18	प्रा.ख. एटा	जनपद एटा में राज्य मार्ग /प्रमुख जिला मार्ग /अन्य जिला मार्ग पर गति सीमा निबन्धन रेट्रो रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड लगाने का कार्य।	122/2021/636 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	27.67	19.37	6.51	1.79	1.79
19	नि.ख. कासगंज	कुढा मार्ग से नगला परसादी तक मार्ग के नव निर्माण कार्य।	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20-दिनांक-19-03-2021	139.03	39.68	32.45	66.9	45.00
20	नि.ख. कासगंज	ग्राम चकरा से नगला फौजी होते हुए कंचनपुर तक मार्ग के नव निर्माण कार्य।	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20-दिनांक-19-03-2021	279.63	59.48	48.44	171.71	139.81
21	नि.ख. कासगंज	ग्राम बरौना से गजौरा तक मार्ग के नव निर्माण कार्य।	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20-दिनांक-19-03-2021	184.53	57.21	24.90	102.42	50.00
22	नि.ख. कासगंज	ग्राम फतेहपुर से नगला पाल तक मार्ग के नव निर्माण कार्य।	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20-दिनांक-19-03-2021	82.96	18.67	21.90	42.39	30.00
23	नि.ख. कासगंज	जनपद कासगंज में कासगंज अमांपुर सिढपुरा पटियाली मार्ग के सिढ़पुरा से पटियाली तक भाग के चौड़ीकरण का कार्य।	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20-दिनांक-19-03-2021	2497.76	1123.95	24.50	1349.31	500.00
24	प्रा.ख. कासगंज	ब्राहिमपुर से जनपद हाथरस सीमा (भटीकरा) तक छूटे हुए भाग का नवनिर्माण का कार्य।	61/2021/159 रासनि/23-1-21-100 रासनि/20-दिनांक-01-03-2021	47.08	37.53	2.00	7.55	7.55
25	प्रा.ख. कासगंज	कासगंज सलेपुर बीबी मार्ग से नगला पट्टी (नगला बैनी) वाया रफातपुर तक छूटे हुए भाग का नवनिर्माण का कार्य।	61/2021/159 रासनि/23-1-21-100 रासनि/20-दिनांक-01-03-2021	102.59	82.43	0.00	20.16	20.16
26	प्रा.ख. कासगंज	जौहरी से दिलावर नगर (छिलावली) एवं न0 अन्धा तक छूटे हुए भाग का निर्माण कार्य।	116/2021/637 रासनि/23-1-21-117 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	82.26	37.62	0.00	44.64	40.00
							कुल योग-	1371.67

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पदित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय ।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(7) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 13,71,67,000/- (रूपये तेरह करोड़ इकहत्तर लाख सड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक 5054043375800 राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-134/2023/203रासनि/23-1-23/005-02आरएसएन/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।